

क्रमांक 3784-3 एस-74/

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़ 8 अक्तूबर, 1974

विषय :—वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल विचार व्यक्त करने वाले पत्र पर ऐसे विचारों के विरुद्ध किए गए अभिवेदन व उस पर लिए गए निर्णय का वर्णन।

महोदय,

गोपनीय रिपोर्टों सम्बन्धी समेकित हिदायतों के पैरा 10 (बी) तथा 13(1)(बी) में यह कहा गया है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियाँ सम्बन्धित अधिकारी को तुरन्त व्यक्त की जानी चाहिए तथा प्रतिकूल विचार व्यक्त करने वाले पत्र की एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी की चरित्र पंजी में रखी जानी चाहिए। कर्मचारियों की पदोन्नति तथा अन्य सेवा मामलों पर निर्णय लेते समय चरित्र पंजीयों के आधार पर रेकार्ड का मूल्यांकन करने में कई बार यह कठिनाई महसूस की जाती है कि यह पता नहीं लगता जो प्रतिकूल विचार किसी कर्मचारी को व्यक्त किए गए हैं क्या उन के खिलाफ कोई अभिवेदन लम्बित है या नहीं।

2. सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि जो प्रतिकूल विचार व्यक्त किए जाएं, यदि उनके खिलाफ कोई अभिवेदन प्राप्त हो तो उस का जिक्र प्रतिकूल विचार व्यक्त करने वाले पत्र पर कर दिया जाए कि "अभिवेदन पत्र दिनांक—लम्बित है" और जब उस अभिवेदन पर फैसला हो जाए तो उस फैसले का जिक्र (यदि अभिवेदन स्वीकार न किया जाए) भी उसी पत्र पर कर दिया जाए। यदि प्रतिकूल विचार हटाने का फैसला लिया जाता है तब तो उक्त पत्र तथा प्रतिकूल विचार मूल रिपोर्ट से ही हट जाएंगे। इस प्रकार कार्यवाही से रेकार्ड के मूल्यांकन करने वाली एथोरिटी के ध्यान में पूरी स्थिति आ जाएगी। कृपया इस की पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक एक प्रति वित्तायुक्त, हरियाणा तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनाएँ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

सेवा में

वित्तायुक्त हरियाणा तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव।

प्रशा: क्र० 3784-3 एस-74;

दिनांक 8 अक्तूबर, 1974